भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1153
उत्तर देने की तारीख : 03.12.2024

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाएं और दिव्यांगजन

1153. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली चरम मौसमी घटनाओं जैसे बाढ़ और चक्रवात से, विशेषकर आंध्र प्रदेश जैसे आपदा-प्रवण राज्यों में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के बचाव और पुनर्वास के लिए कोई विशिष्ट नीतिगत ढांचा मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी आपदाओं के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा, भोजन, पानी और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास चरम मौसमी घटनाओं, जैसे लू के दौरान मनोसामाजिक दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली बढ़ती भेद्यता और मृत्यु के जोखिम को दूर करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम हैं और यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई ढांचा विचाराधीन है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री. बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को पूर्ववर्ती दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के स्थान पर अधिनियमित किया गया, और यह 19.04.2017 को लागू हुआ।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि दिव्यांगजनों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2(ड) के तहत परिभाषित आपदा प्रबंधन गतिविधियों में दिव्यांगजनों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने का अधिदेश प्राप्त है। इसमें आगे प्रावधान है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत गठित

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले में दिव्यांगजनों के विवरण का रिकॉर्ड रखेगा और ऐसे व्यक्तियों को जोखिम की किसी भी स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा ताकि आपदा की तैयारी को सुनिश्चित किया जा सके। जोखिम, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं की किसी भी स्थिति के बाद, पुनर्निर्माण की गतिविधियों में लगे अधिकारियों को दिव्यांगजनों की सुगम्यता संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित राज्य आयुक्त के परामर्श से ऐसी गतिविधियों को करने का अधिकार है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 24 (3) (ग) में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान और संघर्ष के क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की सहायता के लिए आवश्यक योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करेगी।

अधिनियम की धारा 25 (2) (i) में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्राकृतिक आपदाओं और जोखिम की अन्य स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

एनडीएमए ने सितंबर, 2019 में दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआईडीआरआर) पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य विभागों, राज्यों और संबंधित हितधारकों को डीआईडीडीआर के कार्यान्वयन तंत्र का समर्थन करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करना था। ये दिशा-निर्देश आपदा प्रबंधन ढांचे में समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, किन्तु ये बचाव और पुनर्वास के लिए प्रोटोकॉल का स्पष्ट रूप से विवरण नहीं देते हैं। आपदाओं के दौरान दिव्यांगजनों के लिए बचाव और पुनर्वास उपायों को आम तौर पर राज्य और जिला स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं (एसडीएमपी) द्वारा निर्देशित किया जाता है।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) चरण-1 आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में कार्यान्वित किया गया और परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:-

घटक:

I. घटक क: प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस)

II. घटक ख: चक्रवात जोखिम शमन अवसंरचना (सीआरएमआई)

III. घटक ग: आपदा जोखिम प्रबंधन पर क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहायता

IV. घटक घ: परियोजना प्रबंधन और निगरानी

वित्त पोषण नमूना:

घटक क, ग और घ - 100% विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार द्वारा;

घटक ख - 75% विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार द्वारा तथा शेष 25% संबंधित राज्यों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से।

परियोजना विकास उद्देश्य:

आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तटीय समुदायों की चक्रवातों और अन्य जल-मौसम संबंधी खतरों से होने वाले प्रभावों को कम करना, ताकि आपदाओं के लिए प्रभावी योजना बनाने और उनसे निपटने के लिए राज्य संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि हो सके।

कार्यान्वयन:

आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 1496.71 करोड़ रुपये की लागत से विश्व बैंक की सहायता से, चरण I को जनवरी 2011 में मंजूरी दी गई थी, जिसके पूरा होने की तिथि जनवरी 2016 थी। इसे आगे संशोधित कर दिसंबर, 2018 तक 2541.60 करोड़ रुपये कर दिया गया। 2,524.84 करोड़ रुपये की लागत से चरण I पूरा हो चुका है।

भौतिक प्रगति:

i. पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस):- ईडब्ल्यूडीएस, आपदाओं के दौरान अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करके विश्वसनीय संचार प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक बहु-प्रौद्योगिकी विकल्प (अलर्ट सायरन, सैटेलाइट रेडियो, मास मैसेजिंग, आदि) को प्रारंभ किया गया है और यह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय जिलों में चालू है।

ii. चक्रवात जोखिम शमन अवसंरचना (सीआरएमआई):- सीआरएमआई बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रयों (एमपीसीएस), सड़कों, पुलों, भूमिगत बिजली केबलिंग और सलाइन तटबंधों के निर्माण के लिए निवेश के माध्यम से तटीय समुदायों की जोखिम के प्रति तैयारी को बढ़ाता है और चक्रवात से हुए नुकसान को कम करता है। परियोजना के तहत बनाया गया बुनियादी ढांचा इस प्रकार है:

उप-घटक	आंध्र प्रदेश	ओडिशा
एमपीसीएस (सं.)	219	316
सड़कें (किमी)	698.02	-
पुल (सं.)	35	-
सलाइन तटबंध (किमी)	58.22	29.90

****